



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26092026-276519
CG-DL-W-26092026-276519

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26—अक्टूबर 2, 2026 (आश्विन 4, 1948)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26—OCTOBER 2, 2026 (ASVINA 4, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, ...	407	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ...	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	933	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, ...	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	1669	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	4101
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, ...	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, ...	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ...	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, ...	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, ...	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), ...	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, ...	8163
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण, ...	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	407	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	933	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1669	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4101
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	8163
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2026

संकल्प

संख्या फा.4(1)/2023-हिंदी—संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य डा. सुमेर सिंह सोलंकी, संसद सदस्य के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप हुई रिक्ति के स्थान पर श्री बंशीलाल गुर्जर, संसद सदस्य (राज्य सभा) को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

आदेश

इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/ राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और वेतन तथा लेखा कार्यालय, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली को भेजी जाए।

इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

डा. सत्य प्रकाश, अपर सचिव

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितंबर 2026

सं. 9-3/2026-यू.3(ए): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, पीएसएन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, निम्नलिखित 6 संस्थानों को मिलाकर पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेदियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु नाम से एक विशिष्ट श्रेणी में सम विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था:

- पीएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (ऑटोनाॅमस), तिरुनेलवेली;
- पीएसएन इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरुनेलवेली;
- लॉर्ड जगन्नाथ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कन्याकुमारी;
- कोट्टायम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, कोट्टायम;
- पीएसएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिरुनेलवेली; और
- लॉर्ड जगन्नाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कन्याकुमारी

3. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 02.03.2026 के पत्र संख्या 40-23/2024 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से जानकारी दी कि यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस आवेदन की जांच की थी। जांच के बाद, समिति ने प्रायोजक संस्था को 'पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेदियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु' के नाम से एक

विशिष्ट श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्राप्त संस्थान स्थापित करने के लिए निश्चित शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी करने संबंधी अनुशंसा की थी। समिति की अनुशंसा पर आयोग ने दिनांक 30.01.2026 को आयोजित अपनी 595वीं बैठक (मद संख्या 2.23) में विचार किया और उसे अनुमोदन प्रदान किया।

4. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेदियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु नाम से समविश्वविद्यालय संस्थान शुरू करने से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के अंदर निश्चित शर्तों की पूर्ति हेतु पीएसएन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को दिनांक 05.05.2026 को आशय पत्र जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रायोजक ट्रस्ट ने दिनांक 09.05.2026 के पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस अनुपालन रिपोर्ट को जांच और सलाह के लिए यूजीसी को प्रेषित किया गया था।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने दिनांक 27.07.2026 के अपने पत्र के माध्यम से बताया कि स्पॉन्सरिंग ट्रस्ट की अनुपालन रिपोर्ट को यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने स्वीकार कर लिया था और पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेदियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की थी। समिति की अनुशंसा पर आयोग ने दिनांक 06.07.2026 को आयोजित अपनी 598वीं बैठक (मद संख्या 2.20) में विचार किया और उसे अनुमोदन प्रदान किया।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित संस्थानों को मिलाकर पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेदियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को समविश्वविद्यालय संस्थान दर्जा (विशिष्ट श्रेणी) देने संबंधी अनुमोदन प्रदान करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i. पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेदियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का पालन करेगा।
- ii. प्रयोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का समविश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- iii. पीएसएन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी संस्थान (उक्त पैरा 2 में उल्लिखित संस्थानों को छोड़कर) पृथक् रूप से कार्य करेंगे और मंत्रालय के अनुमोदन के बिना उन्हें पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय संस्थान), मेलाथेदियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जाएगा।
- iv. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- v. पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेडियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- vi. पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेडियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vii. पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेडियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- viii. पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेडियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
- ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेडियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।

- x. पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेडियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- xi. पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेडियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xii. पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेडियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xiii. पीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मेलाथेडियूर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।

के.एम. प्रफुल्लचन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 सितंबर 2026

सं. 9-15/2025- यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, गायत्री विद्या परिषद सोसाइटी द्वारा गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च, कोम्माडी, मधुरावाड़ा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के नाम से विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर दिनांक 14.12.2026 को एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया था, जिसमें निम्नलिखित कॉलेज शामिल हैं:

- i. गायत्री विद्या परिषद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (स्वायत्त), मधुरावाड़ा, विशाखापत्तनम - 530048, आंध्र प्रदेश
- ii. गायत्री विद्या परिषद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वीमेन, मधुरावाड़ा, विशाखापत्तनम -530048, आंध्र प्रदेश
- iii. गायत्री विद्या परिषद कॉलेज फॉर डिग्री एंड पीजी कोर्स, रुशिकोंडा, विशाखापत्तनम -530045, आंध्र प्रदेश
- iv. गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल केयर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, मरीडी वैली, मारीकवालासा, विशाखापत्तनम -530048, आंध्र प्रदेश

3. और जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर गायत्री विद्या परिषद को गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के नाम से विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से पहले तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और जबकि सचिव, गायत्री विद्या परिषद, विशाखापत्तनम ने दिनांक 06.08.2025 और 08.10.2025 के अपने पत्रों के माध्यम से एलओआई में उल्लिखित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, प्रायोजक निकाय ने प्रस्तुत किया कि संबद्ध विश्वविद्यालय ने गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल केयर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, मरीडी वैली, मारीकवालासा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश को एनओसी देने से इनकार कर दिया है।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, अनुपालन रिपोर्ट सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेज दी गई थी। प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने बताया कि अनुपालन रिपोर्ट को विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 06.07.2026 को आयोजित अपनी 598वीं बैठक (मद संख्या 2.26) में विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, गायत्री विद्या परिषद उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश को विशिष्ट श्रेणी के तहत एक सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है, जिसमें निम्नलिखित कॉलेज शामिल है:

- i. गायत्री विद्या परिषद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (स्वायत्त), मधुरावाड़ा, विशाखापत्तनम - 530 048, आंध्र प्रदेश
- ii. गायत्री विद्या परिषद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वीमेन, मधुरावाड़ा, विशाखापत्तनम -530048, आंध्र प्रदेश
- iii. गायत्री विद्या परिषद कॉलेज फॉर डिग्री एंड पीजी कोर्स, रुशिकोंडा विशाखापत्तनम -530045, आंध्र प्रदेश

7. उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- ii. गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देगा जो संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा अनुमोदित हैं।
- iii. किसी अन्य संस्था (उपरोक्त पैरा 6 में उल्लिखित संस्थानों को छोड़कर) को मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- iv. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- v. गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vi. गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
- viii. गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- ix. गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- x. गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xi. गायत्री विद्या परिषद उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।

के.एम. प्रफुल्लचन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली – 110023, दिनांक 16 सितंबर, 2026

सं. W/1/2026-SCD-VI-Part(1)—राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) से संबंधित भारत सरकार के संकल्प सं. N-16/5/2021-Plan दिनांक 12.02.2025 के अनुसार, राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में 31.03.2028 तक (अर्थात् आयोग के कार्यकाल की अवधि तक), उनके द्वारा अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की संबंधित तिथि से नियुक्त करते हैं:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री भगवत प्रसाद मकवाना	अध्यक्ष	09.09.2026 (अपराह्न)
2.	श्री केशव बिहारी	उपाध्यक्ष	08.09.2026 (अपराह्न)
3.	श्री मनोज कुमार बाल्मीकि	सदस्य	07.09.2026 (अपराह्न)
4.	श्रीमती सुषमा गौड़ियाल	सदस्य	08.09.2026 (अपराह्न)
5.	श्री रवि रामू कालोसे	सदस्य	09.09.2026 (अपराह्न)

शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 27th July 2026

RESOLUTION

No. F.4(1)/2023-Hindi—Shri Banshilal Gurjar, Member of Parliament (Rajya Sabha) is hereby nominated as Member of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs against the vacancy caused by the retirement of Dr. Sumer Singh Solanki, Member of Parliament from Rajya Sabha.

ORDER

A copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Department of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Niti Aayog, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Office, Cabinet Affairs, New Delhi.

This Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

Dr. SATYA PRAKASH, Additional Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 7th September 2026

No.9-3/2026-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application was submitted by PSN Educational & Charitable Trust on the UGC's Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu under Section 3 of the UGC Act, 1956 consisting of the following six institutions:

- i. PSN College of Engineering and Technology (Autonomous), Tirunelveli;
- ii. PSN Engineering College, Tirunelveli;
- iii. Lord Jegannath College of Engineering and Technology, Kanyakumari;
- iv. Kottayam Institute of Technology and Science, Kottayam;
- v. PSN College of Education, Tirunelveli; and
- vi. Lord Jegannath College of Education, Kanyakumari.

3. And whereas, UGC, vide its letter no. 40-23/2024 (CPP-I/DU) dated 02.03.2026, informed that the application was examined through its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee, after examination, recommended that letter of Intent (LoI) may be issued to the sponsoring body with certain conditions for establishment of an Institution deemed to be University status under distinct category in the name of PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu. The recommendation of the Committee was considered and approved by the Commission in its 595th meeting (Item No. 2.23) held on 30.01.2026.

4. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 05.05.2026 to PSN Educational & Charitable Trust for fulfilment of certain conditions within a period of three years before starting an Institution deemed to be University in the name of PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu. Further, the sponsoring Trust, vide letter dated 09.05.2026, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The compliance report was sent to UGC for examination and advice.

5. And further whereas, UGC, vide its letter dated 27.07.2026, conveyed that the compliance report of the sponsoring Trust was accepted by its Expert Committee and recommended for grant of Institution Deemed to be University status under distinct category to PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu. The recommendation of the Committee was considered and approved by the Commission in its 598th meeting (Item No. 2.20) held on 06.07.2026.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval for conferment of Institution deemed to be University status (distinct category) to PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu consisting of the Institution as mentioned in para 2 above. This approval is further subject to the following conditions:

- i. PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu shall follow the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.

- iii. All other Institutions (apart from the Institutions mentioned in para 2 above) under PSN Educational & Charitable Trust, shall function separately and shall not be brought under the purview of PSN Institute of Higher Education and Research (deemed to be University), Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu without approval of the Ministry.
- iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- v. PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- vi. The academic programmes to be offered at PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vii. PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu shall align its course with National Education Policy-2020.
- viii. PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu.
- x. PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu shall submit its MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- xi. PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xii. PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xiii. PSN Institute of Higher Education and Research, Melathediyoar, Tirunelveli, Tamil Nadu shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

K.M. PRAPHULLACHANDRA SHARMA, Joint Secretary

The 10th September 2026

No. 9-15/2025-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application dated 14.12.2023 was uploaded by Gayatri Vidya Parishad Society on the UGC's Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Kommadi, Madhurawada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh consisting of the following colleges:

- i. Gayatri Vidya Parishad College of Engineering (Autonomous), Madhurawada, Visakhapatnam - 530048, Andhra Pradesh
- ii. Gayatri Vidya Parishad College of Engineering for Women, Madhurawada, Visakhapatnam -530048, Andhra Pradesh
- iii. Gayatri Vidya Parishad College for Degree and PG Courses, Rushikonda, Visahapatnam-530045, Andhra Pradesh
- iv. Gayatri Vidya Parishad Institute of Medical Care and Medical Technology, Maridi Valley, Marikavalasa, Visakhapatnam-530048, Andhra Pradesh

3. And whereas, Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 02.07.2025 to Gayatri Vidya Parishad for fulfilment of certain conditions within a period of three years before conferment of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh.

4. And whereas the Secretary, Gayatri Vidya Parishad, Vishakapatnam, vide its letters dated 06.08.2025 & 08.10.2025, submitted compliance report in respect of the conditions mentioned in the LoI. Additionally, the sponsoring body submitted

that the affiliating University has denied for NOC to Gayatri Vidya Parishad Institute of Medical Care and Medical Technology, Maridi Valley, Marikavalasa, Visakhapatnam, Andhra Pradesh.

5. And further whereas, the compliance report was forwarded to UGC for verification and advice. In response, UGC informed that the compliance report was accepted by the Expert Committee. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 598th meeting (Item No. 2.26) held on 06.07.2026.

6. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh as an Institution deemed to be University under distinct category consisting of the following colleges:

- i. Gayatri Vidya Parishad College of Engineering (Autonomous), Madhurawada, Visakhapatnam - 530 048, Andhra Pradesh
 - ii. Gayatri Vidya Parishad College of Engineering for Women, Madhurawada, Visakhapatnam -530048, Andhra Pradesh
 - iii. Gayatri Vidya Parishad College for Degree and PG Courses, Rushikonda, Visahapatnam-530045, Andhra Pradesh
7. The said declaration is subjected to the following conditions:
- i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
 - ii. Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall admit students in those professional courses which are approved by the respective Statutory Councils.
 - iii. All other Institutions (except as mentioned in para 6 above) shall not be included under Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research (Deemed to be University), Visakhapatnam, Andhra Pradesh without previous approval of the Ministry.
 - iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
 - v. The academic programmes to be offered at Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
 - vi. Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall align its courses with National Education Policy-2020.
 - vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
 - viii. Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
 - ix. Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
 - x. Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
 - xi. Gayatri Vidya Parishad Institute of Higher Learning and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

K.M. PRAPHULLACHANDRA SHARMA, Joint Secretary

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT)

New Delhi -110023, the 16th September 2026

No. W/1/2026-SCD-VI Part (1)—As per Government of India's Resolution No. N-16/5/2021-Plan dated 12.02.2025 regarding the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK), the President is pleased to appoint the following persons

as Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK), for a period upto 31.03.2028 (i.e. the tenure of the Commission), w.e.f. the respective dates of assumption of charge:

Sl. No.	Name	Designation	Assumption of Charge
1.	Shri Bhagwat Prasad Makwana	Chairperson	09.09.2026 (A/N)
2.	Shri Kaishab Bihari	Vice-Chairperson	08.09.2026 (A/N)
3.	Shri Manoj Kumar Balmiki	Member	07.09.2026 (A/N)
4.	Smt. Sushma Gaudiyal	Member	08.09.2026 (A/N)
5.	Shri Ravi Ramu Kalose	Member	09.09.2026 (A/N)

SHAILENDRA KUMAR, Joint Secretary